

हसीना बानो हत्याकांड से संबंधित

वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रावस्ती 18 अगस्त (भि0टा0सं0)। थाना नवीन मॉडर्न श्रावस्ती पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 97/2024 धारा 103(1),61(2)(a) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस) हसीना बानो हत्याकाण्ड से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अच्छन अली पुत्र ननकू नेवासी श्यामदेवरिया दाखिला महदेईया थाना नवीन माडर्न पुलिस थाना श्रावस्ती जनपद श्रावस्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना नवीन मॉडर्न क्षेत्रांतर्गत ग्राम श्यामदेवरिया नजरा महदेईया में पुरानी रंजिश की वजह से हुई हसीना बानो की हत्या कर दी गयी थी।

मृतका के बहू की लिखित तहरीर पर थाना नवीन मॉडर्न पुलिस थाना पर मुकदमा अपराध संख्या 0097/2024 धारा 103(1),61(2)(a) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस) 2023 बनाम कलाम पुत्र अच्छन अकलीमा पत्नी अच्छन 3. अच्छन पुत्र ननकू निवासीगण श्यामदेवरिया दाखिला महदेईया थाना नवीन माडर्न पुलिस थाना श्रावस्ती जनपद श्रावस्ती के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। जिसमे वांछित अभियुक्त अच्छन अली को आज दिनांक 18.08.2024 को थानाध्यक्ष गणनाथ प्रसाद मय हमराही पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

आठ वारंठी गिरफ्तार



श्रावस्ती 18 अगस्त (भि0टा0सं0)। पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्मानु प्रताप

सिंह थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 08 वारंटी समशाद पुत्र मुल्ला उर्फ अब्दुल वाहिद निवासी खरगौरा मोड़ थाना कोतवाली जनपद श्रावस्ती सम्बन्धि

त मु0नं0 1362/2014 धारा 3(1) UPS Act मोहरम अली पुत्र रहमतउल्ला मंसूर अली पुत्र मोहम्मद हसन उर्फ बच्चा निवासीगण कुलपुर नौसहरा थाना कोतवाली जनपद श्रावस्ती सम्बन्धि त मु0नं0 486/2016 धारा 323, 504, 506 भादवि 4.निजाम खां पुत्र मो0 उमर 5.बाऊर खां पुत्र मो0 उमर निवासीगण जौगड़ दा0 नौबस्ता थाना कोतवाली जनपद श्रावस्ती सम्बन्धित मु0नं0 2568/2019 धारा 147, 323, 504, 506 भादवि बनाम निजाम आदि थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती 6.चौली

प्रसाद पुत्र लोकई निवासी अचलापुर थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती सम्बन्धित मु0नं0 1123/08 धारा 323, 504, 506 भादवि 7. पतिराम पुत्र स्व0 दुलारे निवासी पसियनपुरवा दा0 एलहवा थाना कोतवाली जनपद श्रावस्ती 8.दिपई उर्फ दीपनरायन पुत्र रूपन निवासी सहियापुर दा0 भीखपुर तराई थाना कोतवाली जनपद श्रावस्ती सम्बन्धि त मु0नं0 30/22 धारा 323, 504, 325 भादवि व 3(1)n/k SC/ST Act को उनके घर पर दबिश देकर गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।